पत्र संख्या-विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम -194 (2010-2011) 15/1112004 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: ~~मार्च~~ 06 अप्रैल ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- प्रवेश कर नियमावली में प्राविधानित फार्म-डी के प्रारुप में संशोधन।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 (उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010 से यथा संशोधित) के नियम-5 के उपनियम (1) में प्राविधानित प्रारुप 'घ' (फार्म-डी) के प्रारुप में सबसे ऊपर वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के नीचे ब्रैकेट में " नियम-5 का उपनियम (1) देखें '' लिखा होने के कारण यह भ्रम हो रहा है कि यह फार्म-डी प्रवेश कर से सम्बन्धित है या मूल्य सम्वर्धित कर से सम्बन्धित है।

2- इस भ्रम के निवारण के उद्देश्य से उक्त प्रारुप-घ (फार्म-डी) के हिन्दी पाठ की तीनों प्रतियों यथा- प्रतिपर्ण, द्वितीय प्रति एवं मूल प्रति में " नियम-5 का उपनियम (1) देखें'' के स्थान पर " उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम-5 का उपनियम (1) देखें'' तथा अंग्रेजी पाठ की तीनों प्रतियों में " See sub-rule (1) of rule 5 '' के स्थान पर " See sub-rule (1) of rule 5 of U.P Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules , 2008'' रखे जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था।

3- शासन के पत्र संख्या-क0नि0-336 / ग्यारह-2-2011-9 (46)/ 11 दिनांक 23-3-2011 द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। अत: उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 (उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010 से यथा संशोधित) के नियम-8 के उपनियम(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके प्रारुप-घ (फार्म-डी) के हिन्दी पाठ की तीनों प्रतियों यथा- प्रतिपर्ण, द्वितीय प्रति एवं मूल प्रति में " नियम-5 का उपनियम (1) देखें'' के स्थान पर **" उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम-5 का उपनियम (1) देखें ''** तथा अंग्रेजी पाठ की तीनों प्रतियों में **" See sub-rule (1) of rule 5 '' के स्थान पर " See sub-rule (1) of rule 5 of U.P Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules , 2008''** प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

4- कृपया सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी उक्त संशोधन के अनुरुप प्रारुप- घ (फार्म-डी) पर मोहर लगाकर उक्त फार्म जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर अधिवक्ता संघों / व्यापारिक संगठनों को उपलब्ध कराते हुये इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

6/4/11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

प्रतिपर्ण

क्रम संख्या --------------------------------

(बिक्रेता द्वारा अनुवर्ती क्रेता को जारी किया जाने वाला घेाषणा-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	--
2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम	--
3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर	--
4- जारी करने का दिनांक	---
5- व्यापारी का नाम जिसको जारी किया गया	---
6- व्यापारी का पता जिसको जारी किया गया	---
7- अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन करदाता पहचान संख्या (टिन)	---
तथा इसके प्रभावी होने का दिनांक	---

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ---------------------------------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या / करदाता पहचान संख्या (टिन) ------------------------ है जो दिनांक ------------------- से प्रभावी है ।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये ------------------------------------- मूल्य की ----------------वस्तु का नाम) बिक्रय बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक संख्या ---------------------- दिनांक -------------- द्वारा सर्वश्री --(क्रेता व्यापारी का नाम व पता) को बिक्री / आपूर्ति / अन्तरित की है और इस माल पर :-

(क) हमारी फर्म द्वारा कर जमा कर दिया गया है / दिनांक -------------- को समाप्त होने वाली कर-अवधि की विवरणी के साथ हमारे द्वारा जमा किया जायेगा,

या

(ख) पूर्ववर्ती स्तर पर कर अदा कर दिया है और इस सम्बन्ध में बिक्रेता व्यापारी से हमे प्रपत्र -घ संख्या--------------------------------- दिनांक ------------------ प्राप्त है ।

स्थान ---------------------------- हस्ताक्षर ------------------------

दिनांक --------------------------- प्रास्थिति ------------------------

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

(द्वितीय प्रति)

क्रम संख्या ------------------------------

(बिक्रेता द्वारा अनुवर्ती क्रेता को जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	------------------------------------
2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम	--------------------------------------
3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर	--
4- जारी करने का दिनांक	--
5- व्यापारी का नाम जिसको जारी किया गया	--
6- व्यापारी का पता जिसको जारी किया गया	--
7- अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन करदाता पहचान संख्या (टिन)	--
तथा इसके प्रभावी होने का दिनांक	--

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ---------------------------------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या / करदाता पहचान संख्या (टिन) ------------------------ है जो दिनांक --------------------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये -------------------------------------- मूल्य की --------------------- (वस्तु का नाम) बिक्रय बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक संख्या ----------- दिनांक -------------- द्वारा सर्वश्री -- ----------------- (क्रेता व्यापारी का नाम व पता) को बिक्री / आपूर्ति / अन्तरित की है और इस माल पर :-

(क) हमारी फर्म द्वारा कर जमा कर दिया गया है / दिनांक -------------- को समाप्त होने वाली कर-अवधि की विवरणी के साथ हमारे द्वारा जमा किया जायेगा,

या

(ख) पूर्ववर्ती स्तर पर कर अदा कर दिया है और इस सम्बन्ध में बिक्रेता व्यापारी से हमे प्रपत्र -घ संख्या--------------------------------- दिनांक ------------------- प्राप्त है।

स्थान ---------------------------- हस्ताक्षर ------------------------

दिनांक --------------------------- प्रास्थिति ------------------------

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

मूल प्रति

क्रम संख्या --------------------------------

(बिक्रेता द्वारा अनुवर्ती क्रेता को जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर --

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम --

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर --

4- जारी करने का दिनांक --

5- व्यापारी का नाम जिसको जारी किया गया ---

6- व्यापारी का पता जिसको जारी किया गया ---

7- अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन करदाता पहचान संख्या (टिन) ---

तथा --

इसके प्रभावी होने का दिनांक

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ----------------------------------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या / करदाता पहचान संख्या (टिन) ------------------------ है जो दिनांक --------------------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये --------------------------------------- मूल्य की -------------- (वस्तु का नाम) बिक्रय बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक संख्या ------------------दिनांक -------------- द्वारा सर्वश्री -- (क्रेता व्यापारी का नाम व पता) को बिक्री / आपूर्ति / अन्तरित की है और इस माल पर :-

(क) हमारी फर्म द्वारा कर जमा कर दिया गया है / दिनांक -------------- को समाप्त होने वाली कर-अवधि की विवरणी के साथ हमारे द्वारा जमा किया जायेगा,

या

(ख) पूर्ववर्ती स्तर पर कर अदा कर दिया है और इस सम्बन्ध में बिक्रेता व्यापारी से हमे प्रपत्र -घ संख्या---------------------------------- दिनांक ------------------- प्राप्त है।

स्थान ---------------------------- हस्ताक्षर -------------------------

दिनांक --------------------------- प्रास्थिति -------------------------

FORM-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh

(See sub-rule (1) of Rule 5 of U.P. Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2008)

Serial No:...............

COUNTER FOIL

(Declaration to be issued by the seller to subsequent Purchaser)

(To be filled by the office)

1- Signature of the issuing Officer ----------------------
2- Name of the issuing Officer ----------------------
3- Seal of the issuing Officer ----------------------
4- Date of issue ----------------------
5- Name of the dealer to whom issued ----------------------
6- Address of the dealer to whom issued
7- Registration number under the Act or Taxpayer's Identification Number (TIN) under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act,2008 ----------------------
 and
 the date from which it is effective -----------------------

(To be filled by the dealer)

1- I, ------------------------------- (full name), do hereby certify that our said firm is registered under the Act / the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 and its registration no. / TIN number is -------------- which is effective from --------------

2- I, further certify that our said firm has sold / supplied /transferred ------------------------------------- (name of the goods) worth Rs. ----------------- to M/s -- vide sale invoice / tax invoice/transfer invoice number---------------------------dated ----------------- and on these goods -

 (a) tax has been paid by me / will be paid by me along-with return of the tax period ending on---------------------------- or

 (b) tax has been paid at an earlier stage and we have received Form-D No. --------- dated---------------from the selling dealer in respect thereof.

Place -----------------------
Date -----------------------

Signature ------------
Status ------------

FORM-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh

(See sub-rule (1) of Rule 5 of U.P. Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2008)

SerialNo:...............

Duplicate

(Declaration to be issued by the seller to subsequent Purchaser)

(To be filled by the office)

1- Signature of the issuing Officer ----------------------
2- Name of the issuing Officer ----------------------
3- Seal of the issuing Officer ----------------------
4- Date of issue ----------------------
5- Name of the dealer to whom issued ----------------------
6- Address of the dealer to whom issued
7- Registration number under the Act or Taxpayer's Identification Number (TIN) under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act,2008 ----------------------
and
the date from which it is effective -----------------------

(To be filled by the dealer)

1- I, ------------------------------- (full name), do hereby certify that our said firm is registered under the Act / the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 and its registration no. / TIN number is --------------- which is effective from --------------
2- I, further certify that our said firm has sold / supplied / transferred ------------------------------------
(name of the goods) worth Rs. ------------------ to M/s --- - vide sale invoice / tax invoice number/ transfer invoice--------------------------dated --------------- and on these goods -
   (a) tax has been paid by me / will be paid by me along-with return of the tax period ending on ------------------------- or
   (b) tax has been paid at an earlier stage and we have received Form-D No. --------- dated-------------from the selling dealer in respect thereof.

Place -----------------------   Signature ------------

Date -----------------------   Status ------------

FORM-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh

(See sub-rule (1) of Rule 5 of U.P. Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2008)

Serial No:..............

ORIGINAL

(Declaration to be issued by the seller to subsequent Purchaser)

(To be filled by the office)

1-	Signature of the issuing Officer	----------------------
2-	Name of the issuing Officer	----------------------
3-	Seal of the issuing Officer	----------------------
4-	Date of issue	----------------------
5-	Name of the dealer to whom issued	----------------------
6-	Address of the dealer to whom issued	
7-	Registration number under the Act or Taxpayer's Identification Number (TIN) under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act,2008	----------------------
	and	
	the date from which it is effective	-----------------------

(To be filled by the dealer)

1- I, ------------------------------- (full name), do hereby certify that our said firm is registered under the Act / the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 and its registration no. / TIN number is -------------- which is effective from --------------

2- I, further certify that our said firm has sold / supplied /transferred-------------------------------------- (name of the goods) worth Rs. ----------------- to M/s -- - vide sale invoice / tax invoice/transfer invoice number--------------------------dated ---------------- and on these goods -

   (a) tax has been paid by me / will be paid by me along-with return of the tax period ending on--------------------------- or

   (b) tax has been paid at an earlier stage and we have received Form-D No. --------- dated ---------- from the selling dealer in respect thereof.

Place ----------------------- Signature ------------

Date ----------------------- Status ------------